(1)

निर्णय बइजलास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 306 / प्रार्थना–पत्र / 2019 तारीख दायरा 19.07.2019

उनवान

सीताराम पाटीदार पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति कुल्मी निवासी थोबड़ियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़ (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1. बालचन्द पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति कुल्मी निवासी थोबडियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
2. द्वारकालाल पाटीदार पुत्र बालचन्द जाति कुल्मी निवासी थोबडियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
3. रमेशचन्द पाटीदार पुत्र बालचन्द जाति कुल्मी निवासी थोबडियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
4. शिवलाल पाटीदार पुत्र बालचन्द जाति कुल्मी निवासी थोबडियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
5. कैलाशचन्द पाटीदार पुत्र बालचन्द जाति कुल्मी निवासी थोबड़ियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
6. बद्रीलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति कुल्मी निवासी थोबड़ियाखुर्द तह0 बकानी जिला झालावाड़
7. उपपंजीयक झालावाड़ कार्या0 तहसील झालरापाटन
8. तहसीलदार तहसील बकानी जिला झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री बन्शीधर जोशी (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 21-10-19

संक्षेप में प्रार्थना –पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थोबडियाखुर्द तह0 बकानी की खाता संख्या नई 80 पुरानी 80 की खसरा नं0 311/76 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 313/76 रकबा 7 बिस्वा कुल 2 किता की 18 बिस्वा आराजी स्थित है। विवादग्रस्त आराजी में से 18 बिस्वा आराजी सन् 1962 से अप्रार्थी 1 लगायत 6 निकट रिश्तेदारान आस–पास के काश्तकारान ग्रामवासियान की जानकारी में प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त एवं अधिकारपूर्ण उपयोग व उपभोग में चली आ रही है जिसमें से 7 बिस्वा पर सदैव की भाँति प्रार्थी ने हकाई–जुताई करवाकर सोयाबीन की फसल बोई है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का उक्त आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। ग्राम थोबडियाखुर्द की विवादग्रस्त आराजीयात

P.T.O.

अधिकारी
(राज0)

एवं अन्य आराजीयात के सम्बन्ध में तथा ग्राम रामपुरिया की आराजीयात के सम्बन्ध में सन 1962 में प्रार्थी व अप्रार्थी न0 1 के मध्य समस्त सहखातेदारान के मध्य ग्रामवासियान की मौजूदगी में आपसी सहमति से बटवारा हो गया था जिसके मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 मौके पर काबिज चले आ रहे है। परन्तु पारिवारिक बटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं होने से रिश्तेदारान परिवार के अन्य सदस्यों एवं अन्य सम्मानीय व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 की सहमति से एक इकरारनामा दिनांक 3.02.2016 को निष्पादित करवाया जिसपर अप्रार्थी और गवाहों के हस्ताक्षर और प्रार्थी और अप्रार्थी न0 1 ने इस दस्तावेज को झालावाड़ में आकर तैयार करवाया और गवाहों के समक्ष प्रार्थी और अप्रार्थी न0 1 ने उसे पढ़कर सुनकर सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात् नोटरी से तस्दीक करवाया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी ने एवं अन्य सहखातेदारो ने अप्रार्थी न0 1 के पक्ष में दस्तावेज रिलीज पत्र दिनांक 19.01.2016 को तैयार करवाकर दिनांक 27.01.2016 को उपपंजीयक बकानी से पंजीकृत करवाया और यह तय पाया कि ग्राम थोबडियाखुर्द की 16 बिस्वा आराजी के बारे में जिसका वर्णन उपर किया जा चुका है। अप्रार्थी न0 1 प्रार्थी के अपने रिलीज पत्र निष्पादित करवाकर वादी (प्रार्थी) की खातेदारी में दर्ज करवाएगें। इसी तरह तय पाया कि ग्राम रामपुरिया की खसरा न0 133 व 134 में से 12 बिस्वा आराजी प्रार्थी अपने जरिये रिलीज डीड उसके खातेदारी मे दर्ज करने हेतु प्रार्थी को सहयोग करेगें। मगर न जाने क्यों अप्रार्थी के मन मे बदनियती आ गई। प्रार्थी तथा अन्य सम्मानीय रिश्तेदारों के द्वारा समझाने के बावजूद भी वे अपने वायदे के अनुसार अप्रार्थी न0 1 ने उसके दायित्व का निर्वहन नहीं किया। दिनांक 03.02.2016 के बाद से प्रार्थी थोबडियाखुर्द की विवादग्रस्त आराजी एव रामपुरिया की आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थी न0 1 से निरन्तर आग्रह करता रहा एवं अप्रार्थी ने जानबूझकर टालमटोल करते रहे इस पर प्रार्थी ने विवश होकर 11.01.2019 को अप्रार्थी न0 1 को विधिक नोटिस भिजवाकर थोबडियाखुर्द की 16 बिस्वा एवं रामपुरिया की 12 बिस्वा आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी के हक में वादे के मुताबिक रिलीज डीड तैयार और पंजीबद्ध करवाने का आग्रह किया जिसका जवाब अप्रार्थी न0 1 की ओर से उसके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 06.02.2019 को भिजवाया जिसमे प्रार्थी के नोटिस को कतई झूठा व बेबुनियाद बताया। इसी तरह से उसी नोटिस के सम्बन्ध मे दिनांक 06.02.2019 को अप्रार्थी न0 1 की ओर से प्रार्थी और उसके पुत्र एव ओमप्रकाश के विभिन्न तथ्यों वाला जवाब नोटिस भिजवाया जिसमे 7 बिस्वा भूमि को डीड होना बताया। प्रार्थी ने अप्रार्थी न0 1 को हर तरह से समझाने का प्रयास किया जिस पर 27.01.2016 को अप्रार्थी न0 1 एवं अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के उस इकरारनामे पर हस्ताक्षर है एवं इस इकरारनामे का स्टाम्प अप्रार्थी न0 1 लगायत 5 द्वारा अप्रार्थी न0 6 बद्रीलाल से मंगवाकर तैयार करवाया। अप्रार्थी न0 6 ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि अप्रार्थी न0 1 बालचन्द अपनी ग्राम थोबडियाखुर्द की 16 बिस्वा एव रामपुरिया की 12 बिस्वा आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में रिलीज पत्र तैयार करवाकर प्रार्थी के नाम पर खातेदारी मे दर्ज करवा देगें। प्रार्थी ने पुनः सभी पर विश्वास किया मगर

P.T.O

अधिकारी
(...)

उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इसी दौरान प्रार्थी के टैनेन्सी अधिकार से वंचित करने की बदनियती से अप्रार्थी ने आपराधिक कृत्य करते हुए दो दान पत्र पहला दान पत्र खसरा नं0 313/76 रकबा 7 बिस्वा के सम्बन्ध में अप्रार्थी न0 1 ने अपने पुत्र अप्रार्थी न0 2 के पक्ष में दूषित प्रक्रिया के द्वारा कथित दिनांक 22.06.2019 को किसी अजनबी व्यक्ति से तैयार करवाकर झूठी गवाही के आधार पर दिनांक 24.06.2019 को उपपंजीयक महोदय को गुमराह करके पंजीबद्ध करवा लिया। कथित दानपत्र शून्य है। उससे दानग्रहिता द्वारकालाल को कोई लाभ नहीं मिलता। इसी तरह से दिनांक 22.06.2019 को दूसरा दानपत्र अपने पुत्र अप्रार्थी न0 2 द्वारकालाल के हक में 1/2 हिस्सा बताकर एवं अप्रार्थी न0 3,4 व 5 रमेशचन्द, शिवलाल व कैलाशचन्द के हक में उनका 1/2 हिस्सा बताते हुए अजनबी व्यक्ति से तैयार करवाया एव झूठी गवाह के आधार पर दिनांक 24.06.2019 को उपपंजीयक महोदय, बकानी को गुमराह करके पंजीबद्ध करवा लिया जो शून्य है। उससे अप्रार्थी न0 2 लगायत 5 को कोई लाभ नहीं मिलता इस प्रकार दोनो दानपत्र प्रार्थी के हितो पर निष्प्रभावी है। अप्रार्थी न0 1 ने यथासान्य हुए इकरारनामें की पालना नही की है तथा वे कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विवादग्रस्त आराजी को जिसपर प्रार्थी काबिजकाश्त है को अप्रार्थीगण खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी 1 लगायत 5 के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने का प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की विशेष इच्छा पर प्रकरण अत्यावश्यक प्रवृति का होने के फलस्वरूप तथा प्रथम दृष्टतया सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा प्रकरण प्रथम दृष्टतया प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने पर दिनांक 19.07.2019 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को पाबन्द किया गया तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 में रखी गई। अप्रार्थीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री बन्शीधर जोशी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीया को दिलाई गई तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में रखी गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्षकारान वकीलों द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया। जिसमें में वकील प्रार्थी ने नजीर आरआरडी 1996 रामदयाल बनाम कान्हा पेज संख्या 337 एवं आरआरडी 2003 लक्ष्मणदास बनाम ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ पेज संख्या 542 का हवाला दिया जिसमें इकरारनामे पर हुए करार को प्रथम दृष्टतया सही माना है तथा अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी के मध्य हुए इकरारनामे का उल्लंघन प्रथम दृष्टतया प्रतीत है। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 को इकरारनामे की शर्तों के मुताबिक प्रार्थी के पक्ष में विवादित आराजी को खाते लगाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी न0 1 ने इकरारनामे दिनांक 03.02.2016 को उल्लंघन किया है। अप्रार्थीगण वकील ने अपनी जिरह में बताया कि आराजी का खातेदार स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी न0 1 ने दानपत्र किया है तथा खातेदार के खिलाफ स्टे दिया है। इस सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी ने आरआरडी 2016 पेज संख्या 282, आरआरडी 2018 पेज संख्या 276 क्रमशः नसीब कौर बनाम रामेश्वरी देवी एव अन्य, एलआरएस भूरीलाल धूरिया बनाम एलआरएस धूला एव अन्य पेश की तथा बताया कि एग्रीमेन्ट के आधार पर कोई दावा डिग्री नहीं किया जा सकता है

पि.ओ

उप अधिकारी
गढ़ (बकानी)

तथा विवादग्रस्त आराजी बिना दानपत्र निरस्त किये नहीं हो सकता है। आरआरली 1977 कब्जा प्रतिवादी का है स्थगन आदेश निरस्त किया जावे।

उभय पक्षकारानों की जिरेह एवं प्रस्तुत की गई नजीरों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो नजीरे प्रस्तुत की गई है उसमें केवल मात्र दावा डिग्री नही किया जा सकता है लेकिन यहा पर निर्णय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किया जा रहा हैं जिस पर ये नजीरे आंशिक रूप से लागू नही होती है। क्योंकि प्रार्थना पत्र के निर्णय से किसी भी खातेदार/सहखातेदार को कोई खातेदारी नहीं मिलती है ये केवल मात्र अस्थायी आदेश है जिसका प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद पर बेअसर है। क्योंकि प्रार्थना पत्र के निस्तारित होने पर भी मूल वाद न्यायालय द्वारा सभी न्यायिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात वाद का निस्तारण किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तासैफला वाद कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम झोबड़ियाखुर्द तह0 बकानी की खाता संख्या नई 80 पुरानी 80 खसरा न0 311/76 रकबा 11 बिस्वा खसरा न0 313/76 रकबा 7 बिस्वा मे से 16 बिस्वा आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल ना करें ना ही प्रश्नगत आराजी जो प्रार्थी के कब्जेकाश्त में है बेजामदाखलत उत्पन्न ना तो स्वय करें ना अन्य किसी से ऐसा करवाएं।

निर्णय आज दिनांक 21-10-19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2019.11.15 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: